न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 256/2013

सायल :- बनाम गैरसायलान :-

1. भंवरगिरी दत्तक पुत्र ओगडगिरी
   जाति-गुसाई (गोस्वामी)
   निवासी-राणीवाल, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)

1. सोहनगिरी पुत्र बच्चनगिरी
2. गुट्कीदेवी पुत्री बच्चनगिरी
   जाति-गुसाई (गोस्वामी)
   निवासी-राणीवाल, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.26.09.2013**

उपस्थितः- 1. श्री चुतरराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चन्दनसिंह एवं श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/05/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैडकला, तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन व बेरा निम्बडीया खसरा नम्बर 311, 312, 313, 314 कुल 4 कुल रकबा 130 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन सेरिया, गै.मु.नाडा, गै.मु.बेरा चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 328 रकबा 04-04 बारानी दोयम प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वंशावली अनुसार मूल पुरूष बच्चनगिरी के वारिसान ओगड़गिरी, सोमगिरी, सोहनगिरी, गुट्कीदेवी, जिमनाई हैं। ओगड़गिरी लाऔलाद फौत की पत्नि बिदामी एवं दत्तक पुत्र भंवरीगिरी हैं। उक्त वंशावली अनुसार सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा आया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या एक का भी 1/9 हिस्सा आया हैं मौके पर हिस्से माफिक काबिज हैं। प्रार्थी के पिता ओगडगिरी की मृत्यु दिनांक 14/07/2002 को हुई थी। ओगडगिरी के फौत होने के बाद उनके स्थान पर बिदामी बेवा ओगडगिरी का नाम बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। फिर प्रार्थी की माता बिदामी की मृत्यु दिनांक 17/01/2012 को होने पर अप्रार्थीगण दोनो मिलकर बिदामी के स्थान पर बिदामी को नाओलाद फौत बताकर झूठे शपथ पत्र देकर पटवारी हल्का-बैंडकला से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 861 दिनांक 12/04/2013 को राजस्व शिविर-पिपलिया खुर्द में अप्रार्थीगण व सोमगिरी व जिमनाई के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। प्रार्थी काफी वर्षो से मद्रास में रहता हैं। इनके बाले-बाले अप्रार्थीगण ने अपना नाम दर्ज करवा दिया, जो सरासर गलत हैं। प्रार्थी के उक्त भूमि के 1/9 हिस्से में व खसरा न0 328 में 1/3 हिस्से में अप्रार्थीगण व अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। केवल मात्र प्रार्थी के हिस्से की भूमि हड़पने की नियत से जानबुझकर अप्रार्थीगण ने अपना नाम गलत दर्ज करवाया। साथ में सोमगिरी व जिमनाई का नाम भी अप्रार्थी संख्या एक ने अपना झूठ शपथ पत्र देकर बाले-बाले दर्ज करवाया। जबकि प्रार्थी ओगडगिरी का दतक पुत्र हैं। अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि के लिए घोषणा का दावा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पेश किया। जिसमें अप्रार्थीगण के अलावा सभी ने राजीनामा पेश कर दिया है और वादी के वाद को मन्जूर किया हैं। लेकिन अप्रार्थीगण की नियत खराब हैं। प्रार्थी की जमीन हडपना चाहते है और राजीनामा पेश नही किया दिनांक 12/09/2013 को पेशी होने के बाद गांव-राणीवाल में एलानिया कहा कि विवादित भूमि में से प्रार्थी के हिस्से की जमीन हमारे नाम दर्ज हैं, जिसका किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, बख्शीश रहन वसीयत कर देगे और प्रार्थी को मालुम ही नहीं पडने देगे तथा उसी दिन भाई बन्धको प्रार्थी ने शामिल किया सभी ने यह कहा कि अप्रार्थी की नियत खराब हैं। उक्त जमीन अप्रार्थीगण बेचान करने का आमादा हैं। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा की दरख्वास्त पेश की जा रही हैं। विवादित भूमि पर 1/9 हिस्से में प्रार्थी का शुरू से कब्जा काश्त होने व प्रार्थी ओगडगिरी के गोद होने से प्रथम दृष्टिया मामला इनके पक्ष में हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। यदि अप्रार्थीगण यह जानते हुए की उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से की हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से की हैं। उक्त भूमि का बैचान, बख्शीश रहन वसीयत कर देगें, तो प्रार्थी को असीम नुक्शान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति अप्रार्थीगण नहीं कर सकेगे। इसलिए जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित भूमि का बैचान, बख्शीश रहन, वसीयत करने से रोका जाना जरुरी हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 की ओर से वकालतनामा श्री चन्दनसिंह, अधिवक्ता एवं गै0सा0 संख्या 2 की ओर से श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता ने पेश किया, सा0मि0 हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंइकलां में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07/10/2013 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैडकला, तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन व बेरा निम्बडीया खसरा नम्बर 311, 312, 313, 314 कुल 4 कुल रकबा 130 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन सेरिया, गै.मु.नाडा, गै.मु.बेरा चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 328 रकबा 04-04 बारानी दोयम की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 07/10/2013 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंइकलां पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner